न्यायालय सेशन न्यायाधीश, फर्रुखाबाद।
उपस्थितः नीरज कुमार, एच०जे०एस० आई०डी०नं०यू०पी० 1907

CNR No.-UPFR010023002026

जमानत प्रार्थनापत्र सं० 597/2026

विकास आयु करीब 30 वर्ष पुत्र ब्रहमपाल निवासी ग्राम चाचूपुर जटपुरा राजेपुर, थाना राजेपुर, जनपद फर्रुखाबाद।

.....आवेदक/अभियुक्त

बनाम

उ०प्र०राज्य .....विपक्षी

&

CNR No.-UPFR010023692026

जमानत प्रार्थनापत्र सं०–622/2026

शीशराम आयु करीब 19 वर्ष पुत्र मंशाराम निवासी ग्राम चाचूपुर जटपुरा राजेपुर, थाना राजेपुर, जनपद फर्रुखाबाद।

.....आवेदक/अभियुक्त

बनाम

उ०प्र०राज्य .....विपक्षी

&

CNR No.-UPFR010023522026

जमानत प्रार्थनापत्र सं०–616/2026

देशराज पुत्र विद्याराम निवासी ग्राम चाचूपुर जटपुरा राजेपुर, थाना राजेपुर, जनपद फर्रुखाबाद।

.....आवेदक/अभियुक्त

बनाम

उ०प्र०राज्य .....विपक्षी

Digitally signed by NEERAJ KUMAR
Date: 2026.06.06 16:43:48 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

मुकदमा अपराध संख्या–67/2026
धारा–191(2), 191(3), 190, 221, 132, 121(2), 352, 109 B.N.S. & 3 सार्वजनिक सं०नु०नि०अधि० & 7 आपराधिक कानून अधि०
थाना–राजेपुर।
जनपद–फर्रुखाबाद।

दिनांकः 06.06.2026

1. प्रस्तुत प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र आवेदक/अभियुक्त विकास एवं आवेदक/अभियुक्त शीशराम तथा आवेदक/अभियुक्त देशराज की ओर से उपरोक्त मामले में जमानत के लिए पृथक–पृथक रूप से प्रस्तुत किये गये हैं, परंतु तीनों ही जमानत प्रार्थनापत्र एक ही अपराध संख्या से संबंधित है और आवेदक/अभियुक्त विकास की ओर से पैरोकार ब्रहमपाल, आवेदक/अभियुक्त शीशराम की ओर से पैरोकार श्रीदेवी एवं आवेदक/अभियुक्त देशराज की ओर से पैरोकार विद्याराम हैं। अतः सुविधा की दृष्टि से उपरोक्त तीनों जमानत प्रा०पत्रों का निस्तारण एक साथ किया जा रहा है।

2. आवेदकगण/अभियुक्तगण के जमानत प्रार्थनापत्र के साथ आवेदक/अभियुक्त विकास की ओर से पैरोकार ब्रहमपाल, आवेदक/अभियुक्त शीशराम की ओर से पैरोकार श्रीदेवी एवं आवेदक/अभियुक्त देशराज की ओर से पैरोकार विद्याराम के शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये हैं जिनके अनुसार आवेदकगण/अभियुक्तगण का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है, अन्य कोई जमानत प्रार्थनापत्र या प्रार्थनापत्र इस न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय में न तो प्रस्तुत किया गया है, न ही लंबित है और न ही निरस्त हुआ है। विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता दाण्डिक द्वारा इस तथ्य का विरोध नहीं किया गया।

3. अभियोजन का केस है कि वादी मुकदमा उ०नि० महेश कुमार की लिखित सूचना के आधार पर दिनांक 10.05.2026 को थाना राजेपुर में प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत की गयी कि दिनांक 09.05.2026 को समय करीब 10.00 बजे ग्राम चाचूपुर जटपुरा के चौकीदार शकील ने जरिये दूरभाष थाना हाजा पर सूचना दी कि एक व्यक्ति का शव ग्राम चाचूपुर जटपुरा के बाहर पुलिया के नीचे नाले में पड़ा है। इस सूचना पर मै तथा प्र०नि० सुदेश कुमार मय फोर्स के मौके पर पहुँचे तथा आसपास के लोगों से जानकारी की गयी तो शव की पहचान बृजेश पुत्र बालकराम निवासी ग्राम चाचूपुर जटपुरा थाना राजेपुर जनपद फर्रुखाबाद उम्र करीब 24 वर्ष के रुप में हुई। मौके पर फील्डयूनिट बुला कर कार्यवाही करायी गयी। फील्ड यूनिट के जाने के पश्चात् शव को अग्रिम विधिक कार्यवाही हेतु सुपुर्दगी में लिया जा रहा था तभी मौके पर 1–कामेश पुत्र मंशाराम उम्र करीब 23 वर्ष, 2–सुधीर पुत्र मस्ताना उम्र करीब 25 वर्ष, 3–शिवरतन राजपूत पुत्र रामसहाय उम्र करीब 40 वर्ष, 4–कश्मीर पुत्र रामगुलाम उम्र करीब 41 वर्ष, 5–बृजेश उर्फ भोला पुत्र नानकचन्द्र उम्र करीब 33 वर्ष, 6–राजा पुत्र विश्राम उम्र करीब 25 वर्ष, 7–रजनीश पुत्र नामालूम पता नामालूम निवासीगण ग्राम चाचूपुर जटपुरा थाना राजेपुर जनपद फर्रुखाबाद, 8–

देशराज पुत्र विद्याराम उम्र करीब 35 वर्ष, 9–विकास पुत्र ब्रम्हपाल उम्र करीब 25 वर्ष, 10–ननकू पुत्र दयाराम उम्र करीब 28 वर्ष निवासीगण अज्ञात, 11–सत्यपाल पुत्र तेजराम उम्र करीब 32 वर्ष निवासी ग्राम चाचूपुर जटपुरा, 12–शिवम पुत्र पप्पू उम्र करीब 32 वर्ष निवासी ग्राम चाचूपुर जटपुरा, 13–गुड्डीदेवी पत्नी टिन्नी उर्फ तोताराम निवासी चाचूपुर जटपुरा थाना राजेपुर जनपद फर्रुखाबाद, 14–सरोजनी पत्नी महन्त निवासी चाचूपुर थाना राजेपुर जनपद फर्रुखाबाद एवं आस–पास के गाँव के भी करीब 25 से 30 महिलायें व पुरुष मौके पर आ गये, स्थिति को देखकर जनपद के अन्य थानों की फोर्स को मौके पर बुलाया गया तो उपरोक्त व्यक्ति मृतक के शव को हाईवे की तरफ ले जाने लगे, जिन्हें रोका गया तो उपरोक्त व्यक्ति एवं अन्य 25 से 30 महिलायें व पुरुष पुलिस के साथ अभद्र व्यवहार करने लगे एवं मृतक के परिजनों को बरगलाकर शव को देशी शराब ठेके के सामने रख दिया। सभी लोगों के हाथों में प्राण घातक हथियार, लाठी, डण्डा, सरिया व ईंट पत्थर आदि था। पुलिस वालों से गाली गलौंज व अभद्र व्यवहार करने लगे और उग्र होने लगे। पुलिस वालों ने समझाने बुझाने का प्रयास किया तो उपरोक्त नामजद व 25 से 30 महिलायें व पुरुष अज्ञात नि० ग्राम चाचूपुर तथा अन्य आसपास के गाँव के लोग सामान्य आशय से एक राय होकर जान से मारने की नियत से पुलिस वालो के ऊपर प्राण घातक हथियार, लाठी, डण्डा, सरिया व ईंट पत्थर से हमला कर दिया, जिससे उ०नि० नागेन्द्र सिंह थाना कोतवाली फतेहगढ़ व उ०नि० कपिल कुशवाहा थाना कादरीगेट व का० 1024 विष्णु कुमार व प्रभारी निरीक्षक सुदेश कुमार को काफी गम्भीर चोटें आयी है। उपरोक्त लोगों द्वारा मौके पर मौजूद सरकारी वाहन सं० यूपी 76 जी–0311 को तोडफोड कर क्षतिग्रस्त कर दिया। मौके पर अपरातफरी का मौहाल पैदा हो गया तथा लोक व्यवस्था भंग होने लगी। उपरोक्त व्यक्तियों द्वारा भय उत्पन्न कर सरकारी कार्य में बाधा डाली गयी तथा सरकारी सम्पत्ती को भी क्षति पहुँचायी गई। बड़ी मुस्किल से मृतक के शव को अग्रिम कार्यवाही हेतु पोस्टमार्टम हाउस फतेहगढ़ भिजवाया गया। वहाँ पर मौजूद लोगों द्वारा घटना का वीडियो/फुटेज भी बनाया गया। अतः महोदय से निवेदन है कि उपरोक्त व्यक्तियों के विरुद्ध उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही करने की कृपा करें।

4. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के तर्कों को सुना गया तथा केस डायरी/प्रपत्रों का अवलोकन किया गया।

5. आवेदकगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्यतः यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदकगण/अभियुक्तगण नितान्त निर्दोष है एवं गांव की पार्टीबन्दी के आधार पर झूठा फंसाया गया है। आवेदक/अभियुक्त शीशराम घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद नहीं है। घटना दिनांक 09.05.2026 की बतायी जाती है, जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 10.05.2026 को समय 20.51 बजे विलम्ब से अंकित की गई है एवं विलम्ब का कोई कारण प्रथम सूचन रिपोर्ट में अंकित नहीं है। मृतक ब्रजेश कुमार पुत्र बालकराम निवासी ग्राम चाचूपुर

जटपुरा को न तो प्रार्थीगण/अभियुक्तगण जानते थे एवं न ही आना जाना था तो ब्रजेश कुमार की मृत्यु पर उनके द्वारा उपरोक्त कथित अपराध करना हास्यस्पद एवं मनगढ़न्त प्रतीत होता है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में किस व्यक्ति के पास कौन से हथियार थे एवं किस व्यक्ति ने किस हथियार से हमला किया, इसका कोई भी वर्णन नहीं किया गया है। इस प्रकार प्रथम सूचना रिपोर्ट में यही स्पष्ट नहीं है कि किस व्यक्ति के आघात से कथित पुलिस वालों के चोटें पहुँची एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह कहीं नहीं स्पष्ट है कि किस व्यक्ति द्वारा गाली–गलौंज कर अभद्र व्यवहार किया गया। आवेदकगण/अभियुक्तगण विकास एवं देशराज दिनांक 12.05.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में जेल में हैं। आवेदक/अभियुक्त शीशराम एक साधारण परिवार का व्यक्ति है तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद नहीं है, उसके घर पर वृद्ध माता–पिता हैं, जिनके पालन–पोषण करने हेतु उसके अलावा अन्य कोई व्यक्ति नहीं है। वह दिनांक 20.05.2026 से जेल में है। अतः अनुरोध किया कि आवेदकगण/अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किया जाए।

6. अभियोजन की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए यह तथ्य रखा गया कि आवेदकगण/अभियुक्तगण ने सह अभियुक्तगणों के साथ मिलकर एक समूह में पुलिस पार्टी को अपने कर्तव्य से रोकने के उद्देश्य से विधि विरूद्ध जमाव किया एवं पुलिस बल पर पत्थर फेंके एवं लाठी डन्डा व सरिया से प्रहार किये जिससे पुलिस पार्टी के सदस्यों के गम्भीर चोटें आयीं। इससे आमजनमानस में भय व्याप्त हो गया एवं आसपास की दुकानें व ठेली दुकानदार भागने लगे, अफरा तफरी का माहौल व्याप्त कर दिया गया। आवेदकगण/अभियुक्तगण का कृत्य गंभीर है, अनुरोध किया कि जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाए।

7. उभयपक्ष के तर्कों के परिप्रेक्ष्य में केस डायरी/प्रपत्रों से विदित है कि आवेदकगण/अभियुक्तगण ने सह अभियुक्तगणों के साथ मिलकर एक समूह में पुलिस पार्टी को अपने कर्तव्य से रोकने के उद्देश्य से विधि विरूद्ध जमाव किया एवं पुलिस बल पर पत्थर फेंके एवं लाठी डन्डा व सरिया से प्रहार किये जिससे पुलिस पार्टी के सदस्यों के गम्भीर चोटें आने का कथन किया गया है। यह भी कहा गया है कि अचानक आई भीड़ ने एवं आवेदकगण/अभियुक्तगण ने शव लेकर राज्यमार्ग बाधित करने की भी कोशिश की। इस मामले में पुलिस द्वारा ही प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है जिसमें घटना दिनांक 09.05.2026 की दिखाते हुए घटना का समय अंकित नहीं किया गया है जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 10.05.2026 को समय 20.51 पर दर्ज कराई गई है। इस प्रकरण में पुलिस पार्टी को जो चोटें आने का कथन किया गया है वह सभी चोटें साधारण प्रकृति की बताई गई हैं। मजरुब नागेन्द्र सिंह की चोट सं० 01 को निगरानी में रखा गया है एवं उसकी शेष चोटें साधारण सूजन आदि की हैं। अभियोजन द्वारा अभियुक्तगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं बताया गया है एवं अभियुक्तगण काफी समय से जेल में निरुद्ध हैं। अतः मामले के सम्पूर्ण तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए मामले के

गुण दोष पर कोई मत व्यक्त किये बिना आवेदकगण/अभियुक्तगण की जमानत हेतु आधार पर्याप्त हैं, तदनुसार जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य हैं।

<u>आदेश</u>

आवेदकगण/अभियुक्तगण विकास, शीशराम एवं देशराज द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र संयुक्त रूप से **स्वीकार** किये जाते हैं और आवेदकगण/अभियुक्तगण प्रत्येक द्वारा मु० 50,000/–(पचास हजार रुपये) का निजी बंधपत्र व समान धनराशि की दो प्रतिभू संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप दाखिल करने पर, जमानत पर रिहा किया जाए।

इस आदेश की एक–एक प्रति जमानत प्रा०पत्र संख्या–622/2026 एवं जमानत प्रा०पत्र संख्या–616/2026 पर भी रखी जाए।

दिनांक–06.06.2026

(**नीरज कुमार**)
आई०डी०नं०यू०पी० 1907
सेशन न्यायाधीश
फर्रुखाबाद।